भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1609
09 दिसंबर, **2025** को उत्तरार्थ

विषय- तमिलनाडु में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित निधि

1609. डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान बेमौसम वर्षा के कारण तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा कुल कितनी फसल की क्षति होने की सूचना दी गयी है और ऐसे नुकसान के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कितनी राशि संवितरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक तमिलनाडु और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और संवितरित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावी कार्यान्वयन और समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मुख्यतः 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। बीमा कंपनियाँ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से क्षेत्र-आधारित/मौसम-अंत में स्वीकार्य दावों की गणना करती हैं और बीमित किसान के खाते में सीधे भुगतान करती हैं। यह भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र उपज के आंकड़ों और प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र एवं राज्य सरकार की अपेक्षित हिस्सेदारी प्राप्त होने पर योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। इन दावों के संबंध में किसानों को फसल नुकसान की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे स्थानीय जोखिमों से होने वाली नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से होने वाली फसलोपरांत नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। ऐसी स्थिति में नुकसान की सूचना किसान द्वारा राज्य सरकार, बीमा कंपनी, वित्तीय संस्थान, NCIP पोर्टल, PMFBY ऐप आदि को 72 घंटों के भीतर देना अपेक्षित है। इस मामले में नुकसान की सीमा और दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

तमिलनाडु में वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किए गए दावों का ज़िलावार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक भुगतान किए गए दावों का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): सरकार ने तमिलनाडु सहित संपूर्ण भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि प्रभावी कार्यान्वयन, समय पर मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके तथा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों की भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी, प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावों का भुगतान मिल सकें।
- पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समय अवधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से किश्त आधारित दावा भुगतान शुरू किया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कार्यान्वयन सत्र के लिए राज्य के हिस्से की सब्सिडी समय पर जारी की जा सके,जिससे पात्र किसानों को दावों के निपटान में देरी को नियंत्रित किया जा सके। इससे राज्यों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रीमियम सब्सिडी भुगतान में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी न हो।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी लागू किया गया है:

i. **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** को क्रमिक रूप से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर बढ़ने के लिए लागू किया गया है, जिससे उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है**,** जिसमें उपज अनुमान में **30%** भारांक अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** जो ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करता है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और उसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

विभाग सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठक और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

अनुबंध-I

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु में भुगतान किए गए दावों का जिलावार विवरण (31 अक्टूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

जिला	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)
अरियालूर	21.48
चेंगलपट्टू	0.20
कोयंबटूर	0.31
कुड्डालोर	81.33
धर्मपुरी	2.07
डिंडीगुल	4.90
इरोड	2.73
कल्लाकुरिची	1.49
कांचीपुरम	0.84
कन्याकुमारी	0.24
करूर	3.40
कृष्णागिरी	1.40
मदुरै	13.40
माइलादुत्रयी	70.80
नागपट्टिनम	21.68
नमक्कल	10.40
पेरम्बलुर	34.65
पुदुक्कोट्टई I	4.00
पुदुक्कोट्टई II	1.63
रामनाथपुरम I	49.09
रामनाथपुरम II	4.12
रानीपेट	1.97
सेलम	0.75
शिवगंगा	8.36
तेंकाशी	17.26
तंजावुर I	44.61
तंजावुर II	48.35
नीलगिरी	0.30
तेनी	0.09
तिरुवल्लुर	15.50
तिरुवरुर I	51.49
तिरुवरूर II	18.08
तिरुचिरापल्ली	15.22
तिरुनेलवेली	16.59
तिरुपथुर	3.22
तिरुपूर	3.86
तिरुवन्नामलाई	2.41
तूतीकोरिन	8.48
वेल्लोर	0.33
विल्लुपुरम	70.96
विरुधुनगर	22.07
कुल (तमिलनाडु)	**680.11**

अनुबंध-II

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक भुगतान किए गए दावों का राज्यवार और वर्षवार विवरण (31 अक्टूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
	(रु. करोड़ में)									
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.15	-	0.09	-	-	-	-	0.02	-	0.25
आंध्र प्रदेश	944.38	740.05	1,892.43	1,251.70	-	-	609.37	119.05	18.65	5,575.64
असम	5.37	1.22	2.79	109.41	188.04	256.41	20.03	62.60	78.65	724.54
बिहार	409.54	401.52	-	-	-	-	-	-	-	811.06
छत्तीसगढ	159.97	1,391.38	1,087.06	1,304.30	887.73	1,432.01	534.24	588.36	266.87	7,651.92
गोवा	0.03	0.01	0.10	0.01	-	-	0.00	0.00	0.01	0.15
गुजरात	1,267.22	1,075.83	2,778.02	616.17	-	-	-	-	-	5,737.24
हरियाणा	298.23	898.93	947.66	903.77	1,165.62	1,650.00	2,526.00	283.69	332.45	9,006.35
हिमाचल प्रदेश	45.50	64.71	54.70	67.71	84.86	77.77	68.03	138.56	5.72	607.57
जम्मू एवं कश्मीर	-	9.82	27.15	-	-	52.72	6.34	34.78	26.08	156.88
झारखंड	31.09	47.18	751.15	27.87	-	-	-	-	-	857.29
कर्नाटक	2,093.84	856.79	2,987.75	1,531.00	1,071.12	1,545.56	2,386.90	3,360.10	1,642.49	17,475.54
केरल	43.73	10.99	26.74	87.47	125.64	102.21	180.33	164.81	-	741.92
मध्य प्रदेश	2,043.85	5,881.35	3,781.16	6,152.89	7,752.70	2,809.62	1,049.97	961.89	1,289.19	31,722.62
महाराष्ट्र	2,317.85	3,315.69	6,124.82	6,878.01	1,260.71	4,708.22	5,395.55	9,569.81	5,407.71	44,978.38
मणिपुर	1.96	0.67	0.00	1.14	-	1.45	1.62	2.00	1.65	10.50
मेघालय	0.03	0.02	0.22	0.18	0.07	-	0.01	14.47	9.50	24.49
ओडिशा	432.71	1,820.12	1,160.37	1,187.02	572.19	1,043.55	581.61	232.62	149.57	7,179.76
पुदुचेरी	7.55	-	0.45	-	0.54	2.95	3.55	1.87	1.87	18.79
राजस्थान	1,917.40	2,242.59	3,444.19	4,955.92	4,055.12	5,008.35	4,364.77	3,660.16	1,762.77	31,411.26
सिक्किम	0.11	0.04	0.00	-	0.02	-	-	-	0.01	0.18
तमिलनाडु	**3,646.22**	**2,097.29**	**2,653.53**	**1,261.17**	**2,653.45**	**817.13**	**917.61**	**761.57**	**680.11**	**15,488.07**
तेलंगाना	179.60	648.43	564.99	513.36	-	-	-	-	-	1,906.38
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**Total**
	(रू करोड़ में)									
त्रिपुरा	0.71	1.00	0.02	0.90	2.57	2.64	2.03	1.92	0.51	12.29
उत्तर प्रदेश	574.57	380.88	468.54	1,065.53	502.57	930.76	985.17	469.24	423.94	5,801.19
उत्तराखंड	27.47	39.45	72.37	103.22	134.82	122.30	207.64	345.82	157.91	1,211.02
पश्चिम बंगाल	421.69	305.37	535.73	-	-	-	-	-	-	1,262.78
कुल	**16,870.75**	**22,231.34**	**29,362.02**	**28,018.74**	**20,457.76**	**20,563.65**	**19,840.78**	**20,773.33**	**12,255.67**	**1,90,374.05**

******